न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 21/2021

राधाकिशन पुत्र मांग्या जाति मीना निवासी पलानहेडा तहसील महवा जिला दौसा
...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा
...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार महवा दिनांक 20.7.2021 बप्रकरण संख्या 19/2020 उनवानी सरकार बनाम राधाकिशन अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री उमेश कुमार गौड, अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अभिभाषक, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 22.9.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, महवा ने दिनाक 20.7.2021 को ग्राम पलानहेडा तहसील महवा के आ0ख0 नं0 330 रकबा 0.015 है. किस्म सिवायचक (गै0मु0रास्ता) भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान के 50 गुना शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.7.2020 जिसकी पुष्टि तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 20.7.2021 को की गई है। उक्त आदेश विधि, प्रक्रिया, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत, क्षेत्राधिकार का सम्यक उपयोग किये बिना पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त सांथा द्वारा न्यायालय तहसीलदार महवा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलांट संवत 2077 फसल खरीफ में आराजी खसरा नंबर 330 कुल रकबा 32 एयर भूमि वाके ग्राम पलानहेडा के 0.015है. भू भाग पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है जिसे वर्तमान में बढाकर 0.0149 मीटर भूमि पर पक्का निर्माण कर लिया गया है। भू अभिलेख निरीक्षक के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार महवा ने अपीलांट के विरूद्व दिनांक 25.6.2001 को दिनांक 6.7.2021 को उनके कार्यालय में उपस्थित होकर हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट ने दिनांक 6.7.2021 को तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया। दिनांक 9.7.2021 की तारीख पेशी नियत की गई। उक्त तिथि को दिनांक 20.7.2021 की तारीख नियत की गई। अपीलांट ने दिनांक 20.7.2021 को अपने अभिभाषक के साथ तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब मय अभिलेख की चित्र प्रतियों के प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया जिससे तहसीलदार महवा संतुष्ट नहीं हुए। पटवारी हल्का द्वारा मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार अतिक्रमण नहीं हटाना बताया। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.7.2020 में नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाकर अपीलांट को अतिक्रमित भू भाग से निष्कासित करने का प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.7.2021 को पारित फरमा दिया जो न्यायोचित नहीं है। तहसीलदार के समक्ष अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:53:33 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 20.7.2021 को लिखित जवाब प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से प्रतिवेदन कब चाहा व पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, प्रश्नगत आदेश में इसका विवरण अंकित नहीं है। अधीनस्थ तहसीलदार महवा द्वारा अपीलांट के जवाब पर बिना विचार किये तथा अभिलेखीय साक्ष्य को बिना देखे प्रश्नगत आदेश पारित किया जाकर न्याय के नैसर्गिक सिद्धानत की अवहेलना की है। आराजी खसरा नंबर 330 रकबा 7 एयर पर अपीलांट का कब्जा पचास वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। उक्त भू भाग पर अपीलांट का बाडा व पाटोलपोश मकान बना हुआ था। सर्वप्रथम संवत 2054 खसरा परिवर्तनशील में अपीलांट के कब्जे का अंकन हुआ है उसके बाद अपीलांट के अभिकथन का अंकन राजस्व रिकार्ड में खसरा परिवर्तनशील में होता आ रहा है। तहसील कार्यालय में अपीलांट द्वारा उक्त अभिलेखों की छाया प्रति प्रस्तुत की गई थी जिसका कोई विवरण प्रश्नगत आदेश में नही है। खसरा नंबर 330 का रकबा 32 एयर है तथा किस्म गै0मु0रास्ता है। गै0मु0रास्ता की भूमि पर डामर रोड सडक का निर्माण हो चुका है जिस पर सार्वजनिक आवागमन सुचारू रूप से होता है। अपीलांट का आधिपत्य सडक निर्माण से प्रभावित नहीं है। ऐसी अवस्था में अपीलांट का निर्माण हटाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलांट अनुसूचित जनजाति का वयोवृद्ध व्यक्ति है। अपीलांट के रहवास से अपीलांट के निष्कासन से अपीलांट आवासविहीन हो जावेगा। अपीलांट को 50 वर्षों पूर्व गै0मु0रास्ता की भूमि होने की जानकारी नही थी। वर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत से राजनैतिक द्वेषता से तहसील कार्यालय महवा से यह आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का पलानहेडा द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त सांथा से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक सांथा की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट नियत तारीख पेशी को अधीनस्थ तहसीलदार महवा के न्यायालय में उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2077 में राजकीय सिवायचक गै0मु0रास्ता भूमि खसरा नंबर 330 रकबा 0.015है0 पर कब्जा किया जाना अंकित है। अपीलांट द्वारा अपील मीमो में कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 330 रकबा 7 एयर पर अपीलांट का कब्जा पचास वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। उक्त भू भाग पर अपीलांट का बाडा व पाटोलपोश मकान बना हुआ है। था। अपीलांट का राजकीय सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पर कब्जा किया जाना प्रमाणित होता है। अधीनस्थ तहसीलदार महवा का पारित आदेश विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:53:33 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 21/2021

के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ है। अपीलांट ने दिनांक 16.7.2020 को अधिवक्ता के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कोई अतिक्रमण नहीं किया जाना प्रकट किया है। अधीनस्थ तहसीलदार महवा द्वारा उक्त जवाब की प्रति पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक को भिजवाकर अतिचार के संबंध में पुनः रिपोर्ट तलब की गई है। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पुनः तहसील कार्यालय महवा में दिनांक 19.7.2021 को रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें अतिक्रमी का अतिक्रमण यथावत बताया गया है। अपीलांट का अपील मीमो में भी कथन है कि राजकीय सिवाय चक किस्म गै0मु0रास्ता भूमि खसरा नंबर 330 के रकबा 0.07है0 पर पुराना कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी का अनाधिकृत कब्जा प्रमाणित होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा के पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायाचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.7.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 सितम्बर 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:53:33 IST
Reason: SelfAttested